

**COURT OF DISTRICT & ADDITIONAL SESSIONS JUDGE-II, JAMUI**  
**Session Trial case no.-476A/2013**

31.07.2025

अभियुक्त परम उर्फ जुटी यादव अनुपस्थित है। अभियोजन की ओर से कोई साक्षी की हाजरी नहीं है। वाद पुकारा गया। अभिलेख का अवलोकन किया।

अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट है कि इस वाद के एक मात्र अभियुक्त परम उर्फ जुटी यादव अनुपस्थित है। अभियोजन को अभि० के अनुपस्थित रहने की स्थिति में साक्ष्य अगर कोई हो तो प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया था परंतु अभियोजन की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में अभियोजन साक्ष्य बंद किया जाता है। उक्त अभि० के विरुद्ध धारा 82 एवं 83 द्र.प्र.स. का अधिपत्र निर्गत है। निकट भविष्य में उक्त अभियुक्त की उप० की कोई संभावना नहीं है।

अतएव अभियुक्त परम उर्फ जुटी यादव को **फरार** घोषित किया जाता है।

कार्यालय अभियुक्त परम उर्फ जुटी यादव के विरुद्ध स्थायी अधिपत्र निर्गत करें कार्यालय अभिलेख को अभिलेखागार में इस शर्त के साथ जमा करे कि इस अभिलेख को विनष्ट नहीं किया जाय।

लेखापित

DASJ II